2025/349 निर्णय 19.5.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

दीपक कुमार आदि बनाम हेतराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 210 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08.05.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 13.05.2025 को पेश हो।	
13.5.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 8 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल फर्द किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट एडवाइस आईन्दा तारीख 19.5.2025 को पेश हो।	हेतराम सरवटी
19.5.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। स्टेट एडवाइस प्राप्त हुआ। वहक मुलाहिजा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध हलफनामे के आधार व वादी प्रतिवादी राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल फर्द किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्दीक शामिल फर्द दाखिल दफ्तर हो।	होरादी पूनामोरिया Pushpa

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:44:36 IST
Reason: SelfAttested

सुनीता